

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल 2018

विषय:- अनुदान संख्या -50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-43/14(बजट)/2052-2018-19 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 5598.80 लाख एवं 42 अन्य व्यय (भारित) मद में प्राविधानित रुपये 2.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभिन्न मानक मद में व्यय हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदेश के समस्त मण्डलों को विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु कालम-3 में उल्लिखित धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3
01-वेतन	4018.27	4018.27
02-मजदूरी	4.00	4.00
03-मंहगायी भत्ता	40183	40183
04-यात्रा व्यय	20.00	20.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00	20.00
06-अन्य भत्ते	150.00	150.00
08-कार्यालय व्यय	60.00	60.00
09-विद्युत देय	170.00	170.00
10-जलकर/जलप्रभार	90.00	90.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15.00	15.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25.00	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

13-टेलीफोन पर व्यय	30.00	30.00
14-कार्यालय प्रयोगार्थ गाडियों का क्रय	100.00	00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	120.00	120.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	50.00	50.00
42-अन्य व्यय	07.52	07.52
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	10.00	10.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	8.00	8.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	9.00	9.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	12.00	12.00
49-चिकित्सा व्यय	24.68	24.68
51-वर्दी व्यय	2.50	2.50
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	248.00	248.00
योग-03	5598.80	5498.80
42 अन्य व्यय(भारित)	2.00	2.00

2- उक्त आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय न किया जाय। साथ ही साथ मदों के क्रियान्वयन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि की भीतर ही सीमित रखा जाय और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- मानक मद संख्या-52 प्राविधानित धनराशि का व्यय वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/ वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2017 में निर्धारित की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार किये जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह सूचना दो प्रतियों में शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

6- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत सुसंगत मदों व प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

धीरज पाण्डे

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-765(1)/एक-4-18-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परिक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
- 5- राजस्व अनुभाग-6/ गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।